उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-301/2021/सा0-2310/23-1-21-242सा0/21

लखनऊ:: दिनांक 26 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर-कर्णवास-राजघाट-नरौरा-रामघाट मार्ग का नामकरण किये जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-907/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 16.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

क्र	जनपद	मार्ग का नाम	नामकरण
1	2	3	4
1	बुलन्दशहर	अनूपशहर-कर्णवास-राजघाट-नरौरा-रामघाट मार्ग (लम्बाई 30.130 किमी)	"अनूपशहर-कर्णवास-राजघाट-नरौरा-रामघाट-कल्याण सिंह मार्ग"

राज कुमार,
अनु सचिव।

संख्या-301/2021/सा0-2310(1)/23-1-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।**
2. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
3. **जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।**
4. **समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।**
5. **अधीक्षण अभियंता(नियोजन/परियोजना), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।**
6. **निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।**
7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।